पर्चा डिक्री

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,</u>
<u>पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.</u>

मि0न0 —235 / 2025

अनवान : —

1. भागसिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां त0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 कर्मजीत कौर पत्नी बलकार सिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां त0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।

2. गुरभेज सिंह पुत्र बलकार सिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां त0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।
3. बेअन्त सिंह पुत्र बलकार सिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां त0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।
4. सुखवीर कौर उर्फ सुखप्रीत कौर पुत्री बलकार सिह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां त0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री अनिल सिडाना एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री नरेन्द्र चिनिया की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक चक नम्बर 2 टी. एल. डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2075 — 78 खाता संख्या — 80 / 72 में दर्ज 0.304 है0 में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 प्रत्येक का 1 / 16 हिस्सा कुल 0.076है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावें व इसी प्रकार चक चक 644 आरडी के खाता सं0 16 / 13 की कुल 1.215है0 प्रतिवादी सं0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर में वादी को 0.607है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के हिस्सा से 0.607है0 ब0हि0 बराबर कम की जावें व इसी प्रकार चक 1 जीजीआर के खाता सं0 190 / 133 की कुल 3.896है0 में वादी के नाम दर्ज 1623 / 3896 मे से 0.354है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के हिस्सा से 0.354है0 भूमि कम की जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना—अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़